तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
05/02/19	अप्रार्थी सं० 1 के द्वारा जरिये वकील आ० पत्र शीघ्र सुनवाई पेश करने पर पत्रावली नियत पेशी दिनांक से पूर्व आज तलब की गई। वकील अप्रार्थी सं० 1 ने निवेदन किया कि प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। एवं प्रकरण में लम्बी तारीख पेशी 8/4/19 नियत कर दी गई है। प्रकरण में विद्युत कनेक्शन से संबंधित प्रश्न विचाराधीन है एवं प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से शीघ्र सुनवाई किया जाना न्यायहित में है। वकील अप्रार्थी सं० 1 के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिपक्ष ने दिनांक 22/02/19 को पेश होने पर अनापत्ति जाहिर की है। अतः पत्रावली शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 22/02/19 को पेश हो।
05/03/19	इजलासी पेशी होने पर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 13/05/19 को पेश हो।
20/05/2019	इजलासी पेशी होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उप० 1 वकील अप्रार्थी सं० 1 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है। अप्रार्थी सं० 2 की कार्यवाही का Document पेश नहीं किया गया। प्रार्थी के मकान को छोड़कर विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया जावें। वकील प्रार्थी ने दलील दी कि प्रार्थी के मकान के ऊपर से लाईन खींच रहे हैं। रास्ते के दक्षिणी सीमा से विद्युत लाईन खींची जाए।

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	हुक्म की तालीम में जारी हुए

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकुलाय उत्तरपक्ष की बहस भी सरसरी मनन किया गया जिससे अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 735/1638 तन ग्राम भादवाड़ी में स्थित प्रार्थी के मकान को छोड़कर विद्युत लाईन खींचे। वास्ते पेश होने जवाब अप्रार्थी सं.1 व तलबी अप्रार्थी सं.2 मिसल दिनांक 18/6/19 को पेश हो।

18 06/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 23/07/19 को पेश हो।

23 07/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 07/10/19 को पेश हो।

07 10/19 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज लगवाई गई। बावजूद आवाज लगवाने वकुलाय उभयपक्ष अथवा पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही प्रकरण अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by CamScanner